

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2518 / अभिकरण, हाजीपुर

दिनांक 16-12-013

प्रेषक,

लोकपाल, मनेरगा
वैशाली।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषय :- जिला पदाधिकारी, वैशाली के जनता दरबार से प्राप्त शिकायत-पत्र का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1519 दिनांक 31.08.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, वैशाली के पत्रांक 1298 दिनांक 31.08.13 से प्राप्त शिकायत-पत्र का जांच प्रतिवेदन प्रेषित। की जा रही है।

शिकायत की विवरणी:- मजदूरों का मजदूरी भुगतान के संबंध में।

परिवाद सं०- 2724/08-0813

शिकायतकर्ता का नाम एवं पता-

श्री जग नारायण राय एवं अन्य


ग्राम-इमादपुर

ग्राम पंचायत- खोआजपुर बस्ती

प्रखण्ड- पातेपुर

जिला- वैशाली।

विश्वासभाजन


16/12/13
लोकपाल-मनेरगा,
वैशाली।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

शिकायत संख्या- 25/13-14 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक	अभ्युक्ति
<p>यह शिकायत पत्र श्री जय नारायण राय एवं अन्य ग्राम - इमादपुर, ग्राम पंचायत - खोआजपुर बस्ती, पो0- पस्तारा, प्रखण्ड- पातेपुर, जिला- वैशाली के दिनांक 02.09.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।</p> <p>ग्राम पंचायत खोआजपुर बस्ती की वृक्षारोपण योजना में 'पानी पटवन तथा 'देखभाल दिनांक 06.09.2011 से 31.03.2012 तक कार्य किया। फिर रोजगार सेवक बोले कि 100 दिन और काम करेंगे तो 200 दिन का मजदूरी देंगे। परन्तु अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। मुखिया द्वारा दो मजदूर के आलावा अन्य को पास बुक और जॉब कार्ड नहीं मिला है। मजदूरी कार्य की सूची संलग्न है। बकाया मजदूरी भुगतान करायी जाये इत्यादि।</p> <p>शिकायतकर्ताओं के शिकायत पत्र के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, पातेपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी साथ ही श्री अरविन्द कुमार ठाकुर मुखिया, ग्राम पंचायत खोआजपुर बस्ती से भी कारण पृच्छा की मांग की गयी। मुखिया तथा पंचायत रोजगार सेवक कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने कारण पृच्छा में बताया कि प्रश्नगत शिकायतकर्ता द्वारा 200 कार्य दिवस का मजदूरी मांगना एक दूसरे के पूरक नहीं है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों की ही रोजगार दी जाती है। शिकायतकर्ता श्री जय नारायण राय को योजना सं0 34/11-12 पर 50 दिनों तक कार्य किये जिसका मस्टर रॉल सं0 1123783 से 1123786 है। उनके कार्यों की मजदूरी का भुगतान दिनांक क्रमशः 01.10.2011 एवं 09.11.2011 को रू0 6000/- का भुगतान खाते के माध्यम से किया जा चुका है। शिकायत-पत्र में कुल नौ शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है। जिसमें से श्री जय नारायण राय के अलावे अन्य चार शिकायतकर्ताओं के भी भुगतान किये जा चुके हैं। उक्त कथन के समर्थन में भुगतान की एडवाइस एवं बैंक ड्राफ्ट की फोटो छायाप्रति संलग्न की है। शेष चारो शिकायतकर्ताओं के बारे में बताया है कि उनके किसी भी योजना में कार्य किये जाने की सूचना नहीं है। अतः उक्त तीनों शिकायतकर्ताओं ने वृक्षारोपण इत्यादि योजनाओं में कार्य नहीं किया है। मुखिया ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठा आरोप है। यह मनरेगा अधिनियम के विरुद्ध छेड़छाड़ है। उन्होंने इस आरोप को भी झूठा बताया कि बैंक पास-बुक एवं जॉब कार्ड नहीं दिया जा रहा है।</p> <p>मुखिया द्वारा प्रस्तुत की गयी कारण पृच्छा में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि शिकायतकर्ताओं में से पाँच लोगों की मजदूरी डाकघर में भेजी जा चुकी है। शेष चार शिकायतकर्ताओं ने किसी भी योजना में कार्य नहीं किया है। उनके द्वारा उक्त अवधि में जारी किये गये सभी एडवाइस की प्रति भी प्रस्तुत किये गये हैं।</p> <p>दिनांक 23.09.2013 को मेरे द्वारा शिकायतकर्ताओं के गाँव तथा टोले इमादपुर का स्थल भ्रमण किया गया। स्थल भ्रमण में मेरे साथ ग्राम पंचायत खोआजपुर बस्ती के पंचायत रोजगार सेवक श्री सुबोध कुमार, मुखिया, श्री अरविन्द्र कुमार ठाकुर, पंचायत तकनीकी सहायक, श्री संजीव कुमार शर्मा के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे।</p> <p>मेरे द्वारा उनके टोले में जाकर पूछताछ की गयी। पूछताछ के दौरान उनलोगों ने बताया कि हमलोगों के द्वारा पंचायत की वृक्षारोपण योजनाओं में कार्य किये गये हैं। मगर पूरी मजदूरी नहीं मिली है। जिसे मौके पर उपस्थित मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक ने इनकार करते हुए बताया कि कार्य किये गये अवधि की मजदूरी दी जा चुकी है। मेरे द्वारा शिकायतकर्ताओं से बाकी दिनों की मजदूरी के संबंध में कोई साक्ष्य देने की मांग की गयी परन्तु उनलोगों के द्वारा कोई साक्ष्य संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं कराया जा सका।</p>	<p>अभ्युक्ति</p>


पासबुक एवं जॉब कार्ड के संबंध में ग्रामीणों एवं शिकायतकर्ताओं से पूछे जाने पर कुछ लोगों द्वारा अपने जॉब कार्ड प्रस्तुत किये गये उन लोगों ने अपनी उपस्थिति संबंधित पत्र भी सौंपे जिसमें उनके जॉब कार्ड संख्या भी अंकित थे। कुछ लोगों द्वारा जॉब कार्ड नहीं प्रस्तुत करने संबंधी पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि उनके जॉब कार्ड एवं पासबुक, मुखिया जी के पास है। मौके पर उपस्थित मुखिया जी से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी पासबुक या जॉब कार्ड नहीं रखा है। पूछताछ करने पर पता चला कि पासबुक और जॉब कार्ड उसी गाँव के उसी टोले के वार्ड सदस्य के पास है। ग्रामीणों द्वारा वार्ड सदस्य को मौके पर उपस्थित किया गया। वार्ड सदस्य ने बताया कि कुछ पासबुक एवं जॉब कार्ड ग्रामीणों द्वारा जमा निकासी की राशि खाते में लिखवाने के लिए दी थी। इन्हें बताया गया कि उनका यह कार्य अवैधानिक है। इन्होंने ग्रामीणों के समक्ष बताया गया कि पास बुक एवं जॉब कार्ड वापस कर दिये जायेंगे।

स्थल भ्रमण के पश्चात् पंचायत रोजगार सेवक से मस्टर रॉल उपलब्ध कराने की मांग की गयी। मस्टर रॉल सह अभिलेख उपलब्ध करवाने में पंचायत रोजगार सेवक तथा कार्यक्रम पदाधिकारी-सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दो माह से अधिक का समय व्यतीत कर दिये। स्मारित करने हेतु काफी दूरभाष किये गये। अंततः कुछ अवधि का केवल मस्टर रॉल उपलब्ध कराया जा सका। मस्टर रॉल से शिकायतकर्ताओं की कार्य करने एवं एडवाइस से भुगतान की राशि का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मस्टर रॉल में अंकित उपस्थिति के अनुसार शिकायतकर्ताओं में से पाँच मजदूरों का एडवाइस उपलब्ध है। शेष चार शिकायतकर्ताओं के विषय में मस्टर रॉल से कोई जानकारी नहीं पायी गयी। मस्टर रॉल में शिकायतकर्ताओं को जितना दिनों की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए उसे एडवाइस में भुगतान किये जाने का उल्लेख किया हुआ है।

मस्टर रॉल की समीक्षा की गयी पाया गया कि शिकायतकर्ताओं में से एक श्री गणेश राय के मस्टर रॉल में एक ही अवधि के दो-दो प्रति मस्टर रॉल पाये गये तथा दोनो प्रतियों का मस्टर रॉल क्रमांक संख्या अलग-अलग है। जबकि कार्य करने की अवधि एवं भुगतान राशि समान है। उक्त मस्टर रॉल से पता चलता है कि शिकायतकर्ता श्री गणेश राय के मस्टर रॉल में बदलाव किये गये है। ऐसी स्थिति में श्री गणेश राय के बारे में मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रस्तुत किये गये मस्टर रॉल की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है।

इस स्थिति में शिकायतकर्ता श्री गणेश राय को 200 दिनों की मजदूरी के दावे के आलोक में 100 दिनों की मजदूरी भुगतान करने का आदेश पंचायत रोजगार सेवक को दिया जा सकता है कि शिकायतकर्ता श्री गणेश राय, पिता- श्री अजब लाल राय, ग्राम- इमादपुर, पो0- पस्तारा, प्रखण्ड- पातेपुर, जिला- वैशाली द्वारा 5000/- रुपये भुगतान प्राप्त किया जा चुका है। अतः शेष राशि 7000/- रुपये का भुगतान किया जाये।

हस्ताक्षर


लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।